न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस
मुकदमा संख्या :– 4/2016
अनुवान मुकदमा –
1. हनुमान पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन जांखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ राजस्थान
प्रार्थी–

बनाम

1. सीताराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन जांखडवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। अप्रार्थीगण–

उपस्थित :– 1. श्री जगजीत सिह रमाना प्रार्थी ।
2. श्री के.डी. धालीवाल अप्राथी सं. 1।
3. राज पेरोकार।

निर्णय दिनांक :– 29.01.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

प्रार्थना पत्र सक्षेंप में इस प्रकार से है कि चक 12 एसपीडी के खाता सं 62/55 के पं.नं. 84/376 कि.नं. 4/1/0.190, 5/1/0.202, 6, 7, 14/2/0.051, 15/2/0.051 की 1.0000 हैक., पं. नं. 83/376 के कि. नं. 3/1/0.190, 8, 13, 14/1/0.127, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2.2910 हैक. कुल3.2910 हैक. कमाण्ड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी चक 12 एसपीडी सं. 2071 से 2074 सलग्न प्रार्थना पत्र है। तथा अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसपीडी के खाता सं. 58/55 के पं. नं. 85/376 किं नं. 1/1/0.164, 4, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 12/1/0.215, 19, 20/1/0.228, 21/1/0.228 , 22 की 2.0500 हैक., पं. नं. 83/376 कि. नं. 4/1/0.190, 5/1/0. 177, 6, 7, 14/2/0.126, 15/0.228 की 1.2020 हैक. कुल 3.2520 हैक. कमाण्ड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी चक 12 एसपीडी सं. 2071 से 2074 सलग्न प्रार्थना पत्र है। तथा चक 12 एसपीडी के पं. नं. 85/376 के कि.नं. 4 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम रिकार्ड है लेकिन कि.नं. 4 में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की अलग अलग ढ़ाणिया बनी हुई है। कि.नं. 4 पश्चिमी दिशा में 0.127 हैक. में मिन प्रार्थी की रियायशी ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें मिन प्रार्थी पिछले 20 वर्षों से अपने परिवार सहित निवास कर रहा है व बिजली का कनैक्शन इसी ढाणी में रहते हुए मिन प्रार्थी के नाम है। तथा प्रार्थी पं.नं. 85/376 के कि. नं. 4 में बनी ढाणी में निवास करता आ रहा है। इसी किला नं. 4 में 0.126 हैक. मे अप्रार्थी सं. 1 की रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई जिसमें अप्रार्थी सं. 1 निवासरत है इस प्रकार कि. नं. 4 में आधे हिस्से में मिन प्रार्थी की रिहायशी ढ़ाणी व आधे हिस्से में अप्रार्थी सं. 1 की ढ़ाणी बनी हुई है। जिसमें अलग अलग रूप से निवास करते आ रहे है। इसी प्रकार चक 12 एसपीडी के पं. नं. 83/376 कि. नं. 14/1 में 0.127 हैक. कृषि भूमि जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन प्रार्थी ने कि. नं. 4 में बनी 0.127 हैक. ढ़ाणी की भूमि के बदले अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के नाम पं.नं. 83/376 कि. नं. 14/1 में 0.127 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 1 को काश्त हेतु दे रखी है जो अप्राथ्री सं. 1 अनवरत रूप से काश्त करता आ रहा है जिामें किसी प्रकार की कोई विघन व बाधा आज तक नही आई है। मिन प्रार्थी घराघरू तौर पिछले 20 वर्षो से अपनी रिहायशी ढाणी चक 12 एसपीडी के पं. नं. 85/376 के कि. नं. 4 में 0.127 हैक . कृषि भूमि की खातदेारी घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 को इसके बलदले में मिन प्रार्थी के नाम 83/376 के कि. नं. 14/1 में 0.127 हैक. भूमि दे रखी है जो वह अपने नाम दर्ज करवाने व खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है उसी अनुसार प्रार्थी के पं. नं. 83/376 के कि. नं. 14/1 में 0.127 हैक. में प्रार्थी का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा व पं. नं. 85/376 के कि. नं. 4 पश्चिम दिशा में 0.127 हैक. मे अप्रार्थी सं. 1 का नाम व हिस कल्मजन होगा

तथा अप्रार्थी स. 1 के नाम मन में बदनियती पैदा हो गई है। व आये दिन प्रार्थी को तग परेशान करता रहता है। चक 12 एसपीडी के पं. नं. 85/376 के कि. नं. 4 में 0.127 हैक. में बनी प्रार्थी की ढाणी में आने जाने में बाधा पैदा करता है व रिहायशी ढाणी से बेदखल करने पर आमाद है। अप्रार्थी सं.1 के मन में लालच पैदा हो गया है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावशक व तात्कालिन परिस्थितियों के दृष्टियगत प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 इस प्रकार की अस्थाई निषेधाक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 चक 12 एसपीडी के पं. नं. 85/376 के कि.नं. 4 में 0.127 हैक. में बनी ढाणी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें व आवागमन में बाधा न पहुचाए , प्रार्थी रिहायशी ढाणी में आने जाने व अन्य कार्य करने में व्यवधान व बाधा उत्पन न करें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्व अप्रर्थीगण इस अमर की जारी की जावें कि चक 12 एसपीडी क`पं. नं. 85/376 के कि. नं. 4 में 0.127 हैक. में प्रार्थी की बनी ढाणी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें व आवागमन में बरधा न पहुचाए प्रार्थी की रिहायशी ढाणी में आने जाने व अन्य कार्य करने मे ंव्यवधान व बाधा उत्पन न करें। साक्ष्य में फोटोप्रति जमाबन्दी चक 12 एसपीडी खाता सं. 62/55 की 3. 291 है।. हनुमान जमाबन्दी चक 12 एसपीडी खाता सं. 58/55 की 3.252 हैक. सीताराम फौटोप्रति मौका प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थी ने यह वाद पत्र मिथ्या व विधि–विरूद्व आधारों पर प्रस्तुत किया है। जो प्रथत दृष्टया ही खारिज योग्य है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 परस्पर सगे भाई है।शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी सख्या 1 का परस्पर सहदायिाक एंव सहअंशदायी होने का तथ्य अस्वीकार है प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं. 1 का ना तो सयुक्त निवासी है व ना ही सयुक्त निवास है व ना ही सयुक्त कारोबार है। दोनो भाई पृथक –पृथक है तथा उनकी खातेदारी भूमि थी पृथक –पृथक है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अपने पिता स्व0 हरीराम द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल अनुसार चक 12 एसपीडी की भूमि के अलग –अलग खातदेार दर्ज हुए है। तथा चक 22 एसपीडी तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 62/55 में वर्णित 3.291 हैक. भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की होना स्वीकार है। तथा चक 22 एसपीडी के खाता सं. 58/55 में वर्णित 3.252 में वर्णित 3.252 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 1 की एकल खातदेारी है। तथा वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अकिंत किये गये है। कतई गलत व झुठ होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 की एकल खातदेारी भूमि चक 12 एसपीडी खाता सं. 58/55 मे ंवर्णित नबरं 85/376(22) कि. नं. 4 तादादी 0.253 हैक. अप्रार्थी की एकल खातदेारी भूमि है। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झुठ है कि उक्त किला नं. 4 मे ंपार्थी एंव अप्रार्थी सं. 1 की अलग –अलग ढााणीया बनी हुई हो बल्कि इस कि. ंन. ं4 में दक्षिण –पश्चिमी सिरे बनी पक्की ढाणी दक्षिण –पूर्वी सिरे बनी कच्ची ढाणी दोनो ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी खातदेारी कृषि भूमि में निर्मित है। प्रार्थी का कि. नं. 4 में दक्षिण –पश्चिमी सिरे पर बनी ढाणी में 20 वर्षों से निवास करने एंव इस ढाणी के लिए विधुत सम्बध लेने के कथन सरासर झुठ है।वस्तुतः प्रार्थी जाखडवाली के वार्ड नं. 7 में बिला पटटा का रिहायशी मकान था जो उसने बडे भाई औमप्रकाश पुत्र श्री हरीराम को विक्रय कर दिया था तथा रिहायशह हेतू प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक व्यवसाी न होने के कारण उसने अप्रार्थी सं. 1 के उक्त कि. नं. 4 में दक्षिण – पश्चिमी सिरे पर बनी ढाणी रिहायशी के प्रयोजनार्थ हेतू अस्थाई तौर पर अर्सा 3 वर्ष पूर्व मांग कर ली थी। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का बडा भाई होने के नाते अप्रार्थी सं 1 उक्त रिहायशी ढाणी प्रार्थी को सहमति स्वरूप निवासीय प्रयोजन हेतू दी थी प्रार्थी ने गाव जांखडवाली के वाड्र नं. 7 में बने रिहायशी मकान में आवासीय प्रयोजन हेतू लिए विधित कनैक्शन को अप्रार्थी सं. 1 की उक्त

प्रश्नगत ढाणी पर स्थानान्तरण करवाया था प्रार्थी का मुझ अप्रार्थी सं 1 के कि. नं. 4 में कथित रूप से निस्फ हिस्सा अर्थात 0.127 हैक. पर ना तो कोई कब्जा है। व ना ही प्रार्थी` का पश्चिमी निस्फ हिस्सा 0. 127 हैक में कोई हक एंव अधिकार है। प्रार्थी का यह कथन भी सरासर असत्य व निराधार है। कि प्रार्थी ने पत्थर नं. 85/37(22) के कि. नं. 4 में कथित रूप से पश्चिमी निस्फ हिस्सा क`बदले पत्थर नं. 83/376 (24) के कि. नं. 14/1 की 0.127 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 1 को काश्त हेतू दे रखी हो बल्कि पत्थर नं. 83/376 (24) का कि. नं. 14/1 की 0.127 हैक. भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जा काश्त मे चली आ रही हैं प्रार्थी ने समस्त कथन प्रार्थना पत्र की गर्ज से मिथ्या व बनावटी अकिंत किये है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि पत्थर नं. 85/376(22) के कि. नं. 4 में से कथित रूप से पश्चिमी दिशा में 0.127 हैक. भूमि के सम्बध में खातदेारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है व ना ही पत्थर नं. 83/376 के कि. नं. 14/1 में 0.127 हैक. भूमि अपने नाम से कलमजन करवाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा अप्राथी सं 1 की खातदेारी कृषि भूमि पत्थर नं. 85/376(22) के कि. नं. 4 के दक्षिणी–पश्चिमी सिरे पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निर्मित ढाणी अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से अस्थाई तौर पर निवासीय प्रयोजन के लिए थी तथा अब बदयान्त होकर इस रिहायशी ढाणी पर जबरन काजिज हो गया है। तथा इस दावा के जरिये मिथ्या रूप से पत्थर नं. 85/376 (22) के कि. नं. 4 के निस्फ पश्चिमी हिस्से पर कतई गलत व विधि–विरूद्व से अधिकार जताते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 की उक्त वर्णित किला न. 4 में दक्षिणी – पश्चिमी सिरे पर निर्मित ढााणी पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी सं. 1 के विरूद्व कथित आधारो पर अस्थाई निषेधाक्षा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखत खातदेार है। तथा यह भूमि अप्रार्थी सं.1 को अपने पिता की वसीयत अनुसार प्राप्त हुई है। प्रार्थी एक अभिलिखित खातदेार के विरूद्व अस्थाई निषेधाक्षा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया मामला है। व ना ही सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाक्षा जारी होने से अप्रार्थी सं. 1 अपनी खातेदारी भूमि में सुधार स्वरूप निर्मित ढाणी के उपयोग व उपभोग से वचित हो जायेगा तथा उसे अपरिमये क्षति होगी स्व0 श्री हरीराम पुत्र श्री झुझााराम की खातदेारी भूमि थी । स्व श्री हरीराम ने अपनी उक्त भूमि के सम्बध में अपने तीनो पुत्रों प्रार्थी, अप्राथ्री सं.1 व औमप्रकाश के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी तथा स्व श्री हरीराम का माह मार्च 2012 में देहात होने के उपरान्त इस वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्तकाल दर्ज हुआ तथा प्रार्थी का 3.291 हैक. व अप्रार्थी सं. 1 का 3.252 हैक. भूमि का अलग–अलग खाता कायम हुआ। तथा स्व0 श्री हरीराम के जीवन काल में पत्थर नं. 85/376(22) के कि. नं. 4 में दक्षिणी–पूर्वी सिरे पर पुरानी ढाणी बनी हुई थी तथा अप्रार्थी सं. 1 क`पिता स्व श्री हरीराम अप्रार्थी सं. 1 के साथ उक्त ढाणी में निवास करते थें। स्व श्री हरीराम के जीवनकाल में उक्त कि. नं. 4 में दक्षिणी – पश्चिमी सिरे पर कोई ढाणी निर्मित नही थी बल्कि पिता स्व श्री हरीराम के देहान्त उपरात उक्त दक्षिणी–पश्चिमी सिरे पर अप्रार्थी सं. 1 ने पक्की ढाणी का निर्माण किया । इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झुठ है कि वह इस ढाणी में गत 20 वर्षों से निवास कर रहा हों। तथा प्रार्थना पत्र के अभिवचनों से प्रार्थी अप्रार्थी सख्या 1 की पत्थर नत्र. 85/376(22) के किं नं. 4 निस्फ पश्चिमी हिस्सा अपनी खातदेारी भूमि पत्थर 83/376(24) कि. नं. 14/1 की 0.127 हैक. के साथ विनिमय होने का कथन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय पक्षकारों की सहमति के अभाव में वर्जित है। प्रार्थी ने कथित घरू बंटवारा अनुसार उक्त दोनो किलो का विनिमय होने का मिथ्य कथन किया हैं प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की अपने पिता स्व श्री हरीराम की वसीयत अनुसार प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी कथित रूप से निस्फ हिस्सा की घोंषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। तथा अप्रार्थी सं 1 ने अपनी खातदेारी भूमि पत्थर नं. 85/376(22) के किं नं. 4 के

दक्षिणी –पश्चिमी सिरे पर बनी ढाणी प्रार्थी को उसके द्वारा गाव जाखडवाली के वार्ड नं. 7 में बने रिहायशी मकान को विक्रय कर दिये जाने पर पास वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर उसके आग्राह पर अप्रार्थी सं. 1 ने अस्थाई तौर पर निवासीय प्रयोजन हेतू दिया था । प्रार्थी ने दावा के जरिये सहमति पूर्वक कब्जा के विपरित आचरण करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थी सं 1 की चक 12 एसपीडी के पत्थर न0 85/376(22) के किं नं. 4 के दक्षिणी –पश्चिमी सिरे पर सुधारस्वरूप बनी ढाणी पर नाजायज कब्जा कर लिया है प्रार्थी की हैसियत अतिक्रमी की है तथा वह बिना अधिकार अप्रार्थी सं. 1 की निर्मित उक्त ढाणी पर कब्जा हैं प्रार्थी की हेस्यित अतिक्रमी की है। तथा एक अतिक्रमी अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा ना ही प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाक्षा जारी किये जानें के कोई आधार है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण बाबत जबाब पेश किया गया ।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गई पंत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाक्षा दिनांक 22.01.2016 को ताफैसला वाद स्थाई करने हेतू निवेदन किया जबाब में वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में वर्णित तथ्यो केा दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतू निवेदन किया गया । बहस पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों का अध्यन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. अधि. में मुख्यतः 3 बिन्दूओं का निर्धारण किया जाता है। प्रथम दृष्टया ,सुविधा का संतुलन , अपूर्णीय क्षति, उक्त तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाक्षा दिनांक 22.01.2016 को ताफैसला वाद स्थाई किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सूनाया गया।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा